



राजस्थान-सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एफ-6(22)/तशिनि/ई-1/सी-2/ 1155

दिनांक :- 14/2/2022

संयुक्त शासन सचिव,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
शासन सचिवालय
राजस्थान (जयपुर)

विषय :- राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति/दिशा निर्देशों के प्रारूप पर विभाग के सुझाव/टिप्पणी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके पत्रांक एफ.8(2)त.शि./2021 जयपुर, दिनांक 15.06.2021 ।


महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति/दिशा निर्देशों के प्रारूप पर विभाग के सुझाव/टिप्पणी हेतु प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग- I) से प्राप्त स्थानान्तरण नीति/दिशा निर्देशों के प्रारूप प्रेषित किया गया ।

उक्त के क्रम में स्थानान्तरण नीति/दिशा निर्देशों के प्रारूप में विभागीय टिप्पणी/ सुझाव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग- I) को प्रेषित करने हेतु संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय


निदेशक, तकनीकी शिक्षा


9/2

194

दिनांक: 05/01/2022

सेवा में,
निदेशक,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
राज. जोधपुर।

विषय:—स्थानान्तरण नीति/दिशा निर्देश
संदर्भ:—आपके आदेश क्रमांक एफ6(22)/तशिनि/ई-1/सी-2/11600-03 दिनांक 07.12.21

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित कार्यालय आदेश के क्रम में कमेटी के सुझाव/ टिप्पणी एवं प्राप्त प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

कपिल सोलंकी
5.01.2022

प्रवक्ता (इलेक्ट्रॉनिक्स)

टीटीसी एवं एलआरडीसी

आ.पी. बाहेती
05/01/2022

प्रवक्ता (गणित)

राजकीय पॉलिटैक्निक महा0, जोधपुर


DIRECTORATE OF TECH EDUCATION
JODHPUR

R. R. No. 117
DATE 6/1/2022


6/1/2022

स्थानान्तरण नीति/दिशा निर्देश पर
सुझाव एवं टिप्पणी

1. बिन्दु संख्या (अ) 2 में "Assistant Professor" की रैंक तक के शैक्षणिक कार्मिक, भले ही वे निर्धारित पे-बैंड में लेवल 13 से उपर हो" के स्थान पर "चतुर्थ श्रेणी कार्मिक एवं निदेशक के अतिरिक्त समस्त कार्मिको पर" उक्त दिशा निर्देश लागू होंगे।
2. बिन्दु संख्या (स) 5 में "उत्कृष्ट खिलाडी" के साथ-साथ एनसीसी अधिकारी, स्काउट एवं गार्ड अधिकारी को भी सम्मिलित किया जावें।
3. बिन्दु संख्या (द) 4 में एनसीसी अधिकारी, स्काउट एवं गार्ड अधिकारी भी सम्मिलित किया जावें।
4. बिन्दु संख्या (इ) में पाईट संख्या 2 के उपरान्त पाईट संख्या 3 सम्मिलित करते हुए निम्नांकित उल्लेखित किया जावें "यथासंभव कार्मिक का स्थानान्तरण संभाग के भीतर किया जाए"
5. बिन्दु संख्या (उ) सामान्य दिशा निर्देश के पाइन्ट संख्या 3 "एक वर्ष" के स्थान पर "5 वर्ष" किया जाए।
6. बिन्दु संख्या (इ) में निम्नांकित सम्मिलित किया जाए "शिक्षण कार्य से संबंधित कार्मिक का परीक्षा परिणाम विषय औसत से कम होने पर।"

 5.01.2022
कपिल सोलंकी

प्रवक्ता (इलेक्ट्रॉनिक्स)
टीटीसी एवं एलआरडीसी

 05/01/2022
ओ.पी. बाहेती

प्रवक्ता (गणित)
राजकीय पॉलिटेक्निक महा., जोधपुर